प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल – 462011

फोन नं. 0755–2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755–2550498 ई–मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाइट www.vyapam.nic.in

efgyk LokLF; dk;ZdrkZ iz f'k{k.k dUnzks esa iz f'k{k.k gsrq izos'k ijh{kk . 2015

(केवल लड़कियों के लिए)

ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि		17.11.2015
ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि		16.12.2015
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि		17.11.2015
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि		21.12.2015
परीक्षा दिनांक व दिन		10-01-2016 रविवार
परीक्षा शुल्क	अनारक्षित के लिए :–	रू. 400/–
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ निःशक्तजन के लिए (केवल म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	रू. 200/–
ऑनलाईन आवेदन – पत्र भरने वाले सभी अभ्यर्थियों को एम.पी. ऑनलाईन का पोर्टल शुल्क :- 70@& देय होगा।		

vkQykbu ijh{kk i)fr le; lkj.kh

परीक्षा, दिनांक एवं दिन	परीक्षा प्रारम्भ समय	उत्तरशीट्स वितरण समय	उत्तरशीट में आवश्यक जानकारियॉ भरने का समय	प्रश्न–पत्र वितरण समय	प्रश्न–पत्र परीक्षण का समय	उत्तरशीट में उत्तर भरने का समय
10.01.2016 रविवार	प्रातः 08:45 बजे से	प्रातः 09:00 बजे से	प्रातः 09:00 से 09:10 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 09:10 बजे	प्रातः 09:10 से 09:15 बजे तक (05 मिनट)	प्रातः 09:15 से 12:15 बजे तक (3:00 घंटे)

vkuykbu ijh{kk i)fr le; lkj.kh

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिये रिपोटिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढने का समय	उत्तर अंकित का समय
10.01.2016 रविवार	प्रथम	प्रातः 07:30 बजे	08:50 से 09:00 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 09:00 से 11:00 बजे तक (2:00 घंटे)
	द्वितीय	प्रातः 10:30 बजे	11:50 से 12:00 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 12:00 से 02:00 बजे तक (2:00 घंटे)
	तृतीय	अपरान्ह 02:00 बजे	02:50 से 03:00 बजे तक (10 मिनट)	अपरान्ह 03:00 से 05:00 बजे तक (2:00 घंटे)

ijh{kk dk vk;kstu vkQykbu@vkuykbu esa ls fdlh Hkh i)fr fd;k tk ldrk gSA

fVIi.kh %&

1. परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के समय से 15 मिनट पश्चात तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात् परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
2. परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व ओ.एम.आर. उत्तरशीट वीक्षक को अनिवार्य रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा एवं व्हाईटनर आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।

4- vkuykbu vkosnu&i= Øekad ds }kjk gh fyf[kr ijh{kk gsrq vH;FkhZ viuk izos'k&i= izkIr dj ldsaxsA vr% vkosnu&i= Øekad vko';d :i ls lqjf{kr j[ksa ftlds leLr@ftEesnkjh vkosnd dh gh gksxhA

5- परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है

6. मण्डल द्वारा आयाजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी ernkrk igpku i=] isudkMZ] vk/kkj dkMZ] MªkbZfoax ykbZlsUl] vFkok dkWyst vFkok fo'ofo|ky; dk igpku i= cSad ikl cqd e; QksVksxzkQ rFkk ikliksVZ esa ls dksbZ ,d vFkok vU; dksbZ p;fur dj ldrk gSA

7- मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।

(केवल लड़कियों के लिए)

fo"k; lwph

l- Øa-	v/;k;	fooj.k	fu;e Øekad
1	1(अ)	संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ के लिए विभागीय नियम	03—09
2	परिशिष्ट—अ	आरक्षण प्रकोष्ट	10
3	परिशिष्ट—ब	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण हेतु नियम एवं शर्ते	11
4	2	मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश	12—23
5	3	पाठ्यक्रम	24—25
6	4	आावश्यक प्रमाण—पत्रों के प्रारूप	26—34
7	प्रारूप—10	प्रश्न—पुस्तिका के प्रश्नों / उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन	35
8	प्रारूप—11	आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन	36
9	प्रारूप—12	Predefined Template	37

efgyk LokLF; dk;ZdrkZ izf'k{k.k dk;ZØe izf'k{k.k gsrq p;u ijh{kk - 2015 dh fy;s mi;qDr lhVksa dk ,d tkbZ fooj.k

सं. क्र.	श्रेणी	खुली प्रतियोगिता के लिये स्थान (ओपन)	आशा कार्यकर्ता के लिये स्थान (ओपन)	कुल स्थान
1	अनारक्षित	315	35	350
2	अनुसूचित जाति	101	13	114
3	अनुसूचित जनजाति	127	13	140
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	87	09	96
			dqy 'khV	700

v/;k;&1

efgyk LokLF; dk;ZdrkZ izf'k{k.k dsUnzksa esa izf'k{k.k gsrq

p;u ds fy, fu;e 2015

1-1 lkekU; %

1.1.1 ये नियम राज्य के शासकीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये कहलायेंगे।

1.1.2 ये नियम उन उम्मीदवारों पर लागू होंगे जो मध्यप्रदेश के विभिन्न महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश चाहते हैं।

1.1.3 परिभाषाएं :

इन नियमों में –

1. राज्य शासन से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन।
2. टेस्ट से तात्पर्य है ANM Training Selection Test (ANMTST) महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण चयन परीक्षा।
3. आयुक्त/संचालक से तात्पर्य है आयुक्त/संचालक (प.क.) तथा उप–संचालक से तात्पर्य है उप–संचालक (प.क.), स्वास्थ्य संचालनालय।
4. श्रेणी से तात्पर्य है 3 श्रेणियों के उम्मीदवार यथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग जिनके लिये सीटें प्रचलित नियमों के अन्तर्गत आरक्षित की गयी हैं।

1-2 lhVksa dk vkj{k.k %

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणियों के लिये क्रमशः प्रवेश क्षमता का 16ः, 20ः तथा 14ः सीटों का आरक्षण किया गया है तथा ऐसी आरक्षित सीटों का ब्यौरा परिशिष्ट –''अ''– में दिया गया है।
चयन परीक्षा में ओपन केटेगरी एवं आशा कार्यकर्ता के लिये आरक्षित पदों पर आरक्षण की स्थिति में केटेगरी पृथक–पृथक एवं सीटों का आरक्षण अनारक्षित सीटों पर भी दिया जायेगा।
टिप्पणी :–

(अ) विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में से उम्मीदवार केवल एक ही श्रेणी में आरक्षण का दावा कर सकता है।

(ब) जिस आरक्षित श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा है, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण–पत्र इस परीक्षा की नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में ही काउन्सलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

नोट :– प्रवेश हेतु नियम पुस्तिका में जहाँ–जहाँ प्रमाण–पत्रों के प्रारूपों का उल्लेख किया गया है, ये सभी प्रारूप नियम पुस्तिका के अंत में (अध्याय–4) देखें।

1.2.1 मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति (एस.सी.) तथा अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) श्रेणी – ऐसा उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति में या अनुसूचित जनजाति श्रेणी में होने का दावा करता है, उसे प्रवेश के आवंटित केन्द्र में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे :–

(अ) सक्षम अधिकारी के नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण–पत्र।

(ब) इसी नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में उम्मीदवार अपने पिता का नाम और यदि पिता जीवित न हो तो माता का नाम, यदि माता–पिता दोनों न हो तब वैध अभिभावक का नाम का शपथ–पत्र।

(स) विवाहित लड़की के संबंध में यह शपथ–पत्र उसके पति द्वारा प्रस्तुत किया जाना होगा।

(द) यदि ऐसा शपथ–पत्र किसी भी प्रकार से झूठा या गलत पाया गया तो उम्मीदवार का प्रवेश संबंधी दावा अस्वीकार कर दिया जावेगा एवं यदि उसमें प्रवेश पा लिया है तो उसे निरस्त कर दिया जावेगा।

(इ) आशा कार्यकर्ता को 03 वर्ष से अधिक का अनुभव प्रमाण पत्र खण्ड चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

1.2.2 अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी क्रीमीलेयर को छोड़कर – ऐसा उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति क्रीमीलेयर को छोड़कर श्रेणी में होने का दावा करता है उसे प्रवेश के समय सक्षम अधिकारी द्वारा नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

1-3 i:o'k grq ik=rk dh 'krsZ%&

1.3.1 अधिवासी संबंधी आवश्यकताएँ :–
प्रवेश हेतु चयन के लिये केवल ऐसे उम्मीदवार की पात्रता होगी:–

1. जो भारत का नागरिक हो।

2. (क) जिसने जिस वर्ष प्रवेश चाहा है उसके ठीक पहले की 5 वर्ष की अवधि में मध्यप्रदेश में स्थित शिक्षण संस्था में कम से कम लगातार तीन वर्षों तक अध्ययन किया हो।

vFkok

(ख) जो नीचे दिये गये स्पष्टीकरण 1 के अनुसार मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी हो।

vFkok

(ग) जो निम्नलिखित की पुत्री हो –

1. मध्यप्रदेश शासन के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश शासन की सेवा में होते हुये मृत कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी (निर्धारित प्रारूप देखें)।

vFkok

2. केन्द्रीय शासन का ऐसा कर्मचारी जिसमें सशस्त्र सेना के कर्मचारी, भारतीय डाकतार, टेलीफोन तथा रेलवे विभाग के कर्मचारी सम्मिलित है अथवा सार्वजनिक उपक्रम का ऐसा कर्मचारी जो जनवरी 2008 को अथवा उसके पूर्व की तिथि तक मध्यप्रदेश में पदस्थ हो।

3. ऐसा व्यक्ति जो केन्द्रीय शासन अथवा राज्य शासन की किसी योजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश में स्थायी रूप से बस गया हो।

स्पष्टीकरणः— 1. मध्यप्रदेश का मूल निवासी —उम्मीदवार मध्यप्रदेश का मूल निवासी तभी माना जावेगा जब वह नीचे दी गई दोनों शर्तों 'अ' एवं 'ब' की पूर्ति करेगा।

अ. वह मध्यप्रदेश में पैदा हुआ हो।

vFkok

उम्मीदवार स्वयं उसके पिता या माता यदि पिता जीवित न हो अथवा यदि माता–पिता दोनों जीवित न हो तो उसका वैध अभिभावक परीक्षा के वर्ष से ठीक पहले कम से कम पांच वर्षों से मध्यप्रदेश में कोई व्यवसाय अथवा व्यापार कर रहा हो अथवा अचल सम्पत्ति रखता हो।

ब. उसने मध्यप्रदेश स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक अध्ययन किया जिसमें कक्षा एक से पूर्व शिक्षा सम्मिलित नहीं होगी।

vFkok

उसने मध्यप्रदेश स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से आठवीं कक्षा अथवा 12वीं प्रणाली की दसवीं बारहवीं कक्षा की परीक्षा उत्त्तीर्ण की हो।

टिप्पणी :— मध्यप्रदेश का मूल निवासी संबंधी प्रमाण–पत्र प्रपत्र में दिये गये प्रारूप के अनुसार संबंधित जिले के कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिऐ। इस प्रमाण–पत्र में संदर्भ क्रमांक जारी करने की तिथि कार्यालय सील तथा जारी करने वाले अधिकारी के नाम व पद का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

प्रवेश के समय अधिवासी संबंधी प्रमाण–पत्र की दोनों शर्तों 'अ' तथा 'ब' के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।

स्पष्टीकरण :– 2 vfHkHkkod – किसी भी उम्मीदवार के अभिभावक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित दंडाधिकारी की राय में उम्मीदवार के पिता और माता की मृत्यु के बाद से आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उनकी अचल संपत्ति का दोनों का वास्तविक संरक्षक हो। अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा यदि उम्मीदवार के पिता जीवित न हो परन्तु माता जीवित हो तो माता को ही उम्मीदवार का स्वाभाविक अभिभावक माना जावेगा और अन्य किसी व्यक्ति को अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी।

स्पष्टीकरण :– 3 nRrd i=h – यदि कोई उम्मीदवार सामान्य अथवा किसी आरक्षित संवर्ग में दत्तक पुत्री के आधार पर प्रवेश चाहे तो उसे दत्तक पुत्री होने के संबंध में समाधानकारक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो प्रवेश के लिये आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि से कम से कम पाँच वर्ष पूर्व प्रतिपादित वैध दत्तकनामा होगा। दत्तकनामा तब तक मान्य नहीं किया जावेगा जब तक उसकी संपुष्टि विद्यालय/ महाविद्यालय के अभिलेख अथवा गत पांच वर्षों से उम्मीदवार द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण–पत्र से नहीं हो जाती है। इन नियमों के अन्तर्गत प्रवेश की पात्रता के लिये ऊपर वर्णित अभिलेखों में दर्ज उम्मीदवार के केवल पिता का नाम ही मान्य होगा। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की दत्तक उम्मीदवार के मामले में यह आवश्यक होगा कि ऐसी उम्मीद्वार गोद लिये जाने के पूर्व भी क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की ही रही हो। ऐसी उम्मीद्वार जो मूलतः अन्य जाति की हो तथा जिन्हें किन्हीं अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के व्यक्तियों ने गोद ले लिया हो, उन्हें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीद्वार को प्राप्त सुविधा एवं लाभ की पात्रता नहीं होगी।

स्पष्टीकरणः– 4 विकलांग उम्मीद्वार के प्रावीण्यता (मैरिट) में आने की स्थिति में विकलांगता के साथ वह उम्मीद्वार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद के कर्तव्यों को निभा सकेगी अथवा नहीं, ऐसा स्पष्ट मत जिला मेडिकल बोर्ड से लिया जाकर प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

1.3.2 'kS{kf.kd vgrk %& इन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता में प्रवेश हेतु उम्मीद्वार माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश की 10+2 प्रणाली की 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण हो।

नोटः– 11वीं हायर सेकेण्ड्री (पुरानी पद्धति) उत्तीर्ण उम्मीद्वारों को पात्रता नहीं है।

vFkok

मध्यप्रदेश में संचालित मान्यता प्राप्त शासकीय, अशासकीय सीबीएसई/आई.सी.एस.ई में 10+2 की कक्षा 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीद्वारों को उक्त चयन में प्रवेश हेतु पात्रता होगी।

1.3.2.1 vgZdkjh ijh{kk esa lfEefyr gks jgs vH;kfFkZ;ksa dh ik=rk %& प्रवेश परीक्षा में वे छात्राऐं भी सम्मिलित हो सकती है जो इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश की 10+2 पद्धति की 12वीं कक्षा एवं समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित हो रही हैं, किन्तु इन छात्राओं को अर्हकारी मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रवेश की पात्रता सिद्ध करनी होगी। पूरक (सप्लीमेंट्री) आने पर प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु अपात्र होंगें।

1.3.3 vk;q lhek %& 1 जुलाई 2015 को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 17 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहियें। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं परित्यक्ता तथा विधवाओं के लिये अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।

1.3.4 Li"Vhdj.k %& आयु–सीमा की गणना करते समय हाई स्कूल (10वीं) का प्रमाण–पत्र या इनकी अंकसूची में जो जन्मतिथि अंकित होगी उसे ही मान्य किया जावेगा। अन्य दस्तावेजों को प्रमाण के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।

1-4 p;u izfdz;k%&

1.4.1 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के प्रशिक्षण के चयन हेतु म. प्र. व्यवसायिक परीक्षा मंडल मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा एक चयन परीक्षा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण चयन परीक्षा (ए.एन.एम.टी.एस.टी.) आयोजित की जावेगी। मंडल द्वारा इस परीक्षा के आधार पर प्रावीण्य सूचियां श्रेणीवार उपलब्ध करायी जावेगी। प्रशिक्षण केन्द्र आवंटन सम्बन्धी चयन प्रक्रिया www.mponline के माध्यम से की जावेगी।

uksV%& आरक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीद्वार जो प्रावीण्यता के आधार पर अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करते हैं उन्हें अनारक्षित श्रेणी की सीटों के विरूद्ध गिना जावेगा, उन्हें अनारक्षित श्रेणी एवं आरक्षित श्रेणी दोनों में दर्शाया जावेगा। ऐसे उम्मीद्वारों को प्रशिक्षण केन्द्रों का आवंटन संबंधित आरक्षित श्रेणी में उनकी प्रावीण्यता के आधार पर किया जावेगा। ऐसे उम्मीद्वारों को संख्या के बराबर अनारक्षित श्रेणी के उम्मीद्वारों के लिये उपलब्ध स्थानों को अतिरिक्त रूप से संबंधित आरक्षित श्रेणी के उम्मीद्वारों को मेरिट क्रमानुसार प्रवेश उपलब्ध कराया जावेगा।

1.4.2 इस परीक्षा के लिये किसी न्यूनतम अर्हकारी अंको का प्रावधान नहीं रखा गया है। प्रवेश हेतु केवल एक प्रश्न–पत्र होगा। कुल अंक में प्राप्त अंको का योग होगा।

1.4.3 ijh{kkfFk;ksa dh ikoh.;rk %& प्रवेश परीक्षा में उम्मीद्वारों द्वारा प्राप्त अंको के आधार पर मंडल द्वारा छात्राओं के विकल्प के आधार पर प्रशिक्षण केन्द्रवार निर्धारित सीटों के मान से श्रेणी अनुसार मेरिट सूचियां बनायी जावेंगी। यदि किसी उम्मीदवार के प्राप्तांक समान है तो मेरिट का निर्धारण उसकी जन्मतिथि के आधार पर किया जावे, अर्थात अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को मेरिट क्रम में प्रथम रखा जावें।

1.4.4 प्रवेश परीक्षा में उम्मीद्वारों द्वारा प्राप्त अंको के आधार पर मंडल द्वारा छात्राओं के विकल्प के आधार पर प्रशिक्षण केन्द्रवार निर्धारित सीटों के मान से श्रेणी अनुसार मेरिट सूचियां बनायी जावेंगी। यदि किसी उम्मीदवार के प्राप्तांक समान है तो मेरिट का निर्धारण उसकी जन्मतिथि के आधार पर किया जावे, अर्थात अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को मेरिट क्रम में प्रथम रखा जावें।

1.4.5 खुली प्रतियोगिता एवं आशा कार्यकार्ता हेतु आरक्षणवार पृथक–पृथक मेरिट एवं प्रतिक्षा सूचियॉ जारी की जावेगी ।

1-5 izos'k izfdz;k %&

1.5.1 मंडल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी करते समय अंकसूची में भी उम्मीद्वारों के मेरिट क्रम वर्गवार (ओपन केटेगरी/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग) उल्लेख किया जावेगा। प्रशिक्षण केन्द्र का आवंटन एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से किया जावेगा। मेरिट सूची के आधार पर छात्राओं को उनके द्वारा एम.पी.ऑनलाईन में किये गये पंजीयन के आधार पर प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जावेगा।

uksV%& izf'k{k.k dsUnz esa izos'k gsrq o"kZ tuojh 2016 esa yksd LokLF; ,oa ifjokj dY;k.k foHkkx }kjk i`Fkd ls dksbZ dkmfUlfyax ugha dh tkosxhA

प्रशिक्षण केन्द्र का आवंटन एमपीऑनलाईन के माध्यम से किया जायेगा। मंडल स्तर से कुल प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या के लिये निर्धारित 700 सीटों की प्रावीण्य सूची जिसमें अनारक्षित, 350 अनुसूचित जाति, 114 अनुसूचित जनजाति एवं 140 अन्य पिछड़ा वर्ग 96 की प्रावीण्य सूची उपलब्ध कराई जावेगी। इसी क्रम में श्रेणी वार प्रतीक्षा सूची भी उपलब्ध कराई जावेगी। एमपीऑनलाईन की काउंसिलिंग के पश्चात् प्रशिक्षण केन्द्रवार एवं श्रेणीवार उपलब्ध करायेंगें। खुली प्रतियोगिता तथा आशा कार्यकर्ता की श्रेणीवार सीटों की जानकारी निम्नानुसार हैः–

सं.क्र.	श्रेणी	खुली प्रतियोगिता (ओपन)	आशा कार्यकर्ता (ओपन)	
		कुल स्थान	कुल स्थान	कुल स्थान
1	अनारक्षित	315	35	350
2	अनुसूचित जाति	101	13	114
3	अनुसूचित जनजाति	127	13	140
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	87	09	96
			dqy 'khV	700

1.5.2 **i.f'k{k.k dsUnz esa mifLFkfr vfuok;Z&**
महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता प्रशिक्षण पूरे 13 प्रशिक्षण केन्द्रों में एक साथ प्रारंभ किया जायेगा मेरिट के आधार पर चयनित उम्मीदवारों को दिनांक 15.01.2016 को अपनी उपस्थिति सम्बंधित प्रशिक्षण केन्द्र की प्राचार्य को प्रस्तुत करना होगी । जो उम्मीदवार नियत तिथि को उपस्थित नहीं होगे उनका कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। किसी कारणवश निर्धारित समय से प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो की जाती है तो प्रक्रिया की सूचना बल्क एसएमएस के तहत उम्मीदवारों को सूचित किया जावेगा। प्रक्रिया होने तक अभ्यार्थी अपना मोबाईल नंबर न बदलें।

1.5.3 **iek.k&i=ksa dh lwph %&** उम्मीद्वारों को सम्बंधित प्रशिक्षण केन्द्र में उपस्थिति देते समय अपने साथ निम्न प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति साथ में लाना अनिवार्य है अन्यथा उनको प्रशिक्षण में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

1. 10+2 प्रणाली की कक्षा दसवी एवं बारहवीं की अंकसूची प्रत्येक की एक–एक सत्यापित एवं मूल अंकसूची।
2. सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदाय की गई जाति प्रमाण–पत्र की मूल प्रति एवं छायाप्रति सत्यापित कराकर साथ में लावें।
3. मूल निवासी प्रमाण–पत्र की मूलप्रति एवं प्रत्येक की सत्यापित छायाप्रति।
4. प्रदेश के किसी भी जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया फिटनेस प्रमाण पत्र मान्य किया जावेगा। गर्भवती उम्मीदवार अपात्र (अनफिट) होगी।
5. व्यापम से जारी ए.एन.एम.टी.एस.टी. अंकसूची/प्रवेश पत्र मूलतः एवं सत्यापित छायाप्रति।

fVIi.kh%&

(i) आरक्षित वर्ग के उम्मीद्वार को स्थायी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही आरक्षित वर्ग में चयन किया जायेगा।

(ii) प्रशिक्षण केन्द्र में उपस्थिति प्रस्तुत करने के पूर्व उम्मीद्वार सुनिश्चित कर लें कि अध्याय–एक में दिये नियमों के अनुसार वे प्रशिक्षार्थी प्रवेश हेतु पूर्ण रूप से पात्र है अन्यथा काउंसिलिंग में उपस्थित न हों।

(iii) उपरोक्त में से किसी भी अभिलेख की कमी होने पर प्रवेश हेतु पात्रता नहीं होगी।

(iv) किसी भी उम्मीद्वार द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाने पर उसे प्रशिक्षण से निष्कासित किया जावेगा एवं उपयुक्त विधिक कार्यवाही भी की जावेगी।

1.5.4 **irh{kk lwph ds mEehnokjksa dk lhV dk vkoaVu %&** नियत तिथि दिनांक 15.01.2016 को उपस्थित नहीं होने वाले उम्मीदवारों की बाद में उपस्थिति मान्य नहीं की जावेगी एवं प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों का चयन किया जावेगा जिसकी सूचना उन्हें विभागीय बैवसाईट www.health.gov.in के माध्यम से दिनांक 25.01.2016 तक दी जावेगी । प्रतीक्षा सूची से चयनित उम्मीदवारों को दिनांक 15.02.2016 को निर्धारित तिथि में अपनी उपस्थिति सम्बंधित प्रशिक्षण केन्द्र के प्राचार्य को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चयन समिति द्वारा अभिलेखों के परीक्षण उपरान्त उपयुक्त उम्मीदवारों को श्रेणीवार रिक्त सीट उपलब्धता के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।

1.5.5 ;k=k HkRrk n; ugh %&

उम्मीद्वारों को परीक्षा एवं काउंसिलिग में उपस्थित होने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

1-6 p;ukUrijkUr ih-Vh-,l- ¼fiifyfejh Vsfuix vkQ LVMUV ijh{kk½ mRrh.kk djuk vfuok;l %

चयनोपरान्त प्रशिक्षण केन्द्रों में 3 माह के प्रशिक्षण के बाद पी.टी.एस. (प्रिलिमिरी ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेन्ट परीक्षा) जो कि संबंधित संस्था द्वारा ली जायेगी उत्तीर्ण करना आवश्यक है। इस परीक्षा में असफल होने पर प्रशिक्षण से निष्कासित कर दिया जावेगा।

1.6.1 izf'k{k.k ds mijkar 3 o"kZ vfuok;Z 'kkldh; lsok%&

उम्मीदवार को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के प्रशिक्षण उपरांत उत्तीर्ण होने पर विभाग द्वारा 6 माह की अवधि में नियुक्ति प्रदान की जावेगी। जो मध्यप्रदेश के किसी भी जिले के अंतर्गत रिक्त स्थान पर हो सकती है, एवं उम्मीदवार को इस नियुक्ति अनुसार शासकीय सेवा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रशिक्षण पूर्व किये गये अनुबंध के अनुसार प्रशिक्षण का पूरा व्यय (छात्रवृत्ति सहित) उम्मीदवार से वसूल किया जावेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात् अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक प्रशिक्षणार्थियों को शासन /राज्य स्वास्थ्य समिति /जिला स्वास्थ्य समिति के अधीन सीधे नियमित /संविदा नियुक्ति के लिये विचार /(consider) में लिया जायेगा। इस अवधि के उपरांत इन्हें नियुक्तियों में किसी प्राथमिकता का लाभ नहीं दिया जायेगा।

1-7 izos'k jnn djuk %&

यदि यह पाया गया कि कोई उम्मीद्वार संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर सुसंगत तथ्यों को छुपाकर प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात् किसी भी प्रमाण–पत्र परीक्षण उपरांत फर्जी पाये जाने की स्थिति में चूकवश प्रवेश मिल गया है तो उम्मीद्वार को दिया गया प्रवेश संस्था द्वारा उसके प्रशिक्षण काल के दौरान तुरंत बिना सूचना के रद्द किया जाएगा। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद में स्वास्थ्य आयुक्त/संचालक, परिवार कल्याण का निर्णय अंतिम होगा।

1-8 p;u grq uhfr ds fu/kkj.k ,oa fu;e ds vFkZ yxkus dk vf/kdkj dsoy jkT; 'kklu dk %&

उम्मीद्वार के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिये राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी रहेगा। यदि इन प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने (Interpretation) से संबंधित कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

1-9 fu;ekas izos'k izfØ;k esa la'kks/ku dk vf/kdkj %&

राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।

1-10 izf'k{k.k vof/k esa ikyu dh tkus okyh vfuok;Z 'krsZ ,oa fu;e %&

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण में प्रवेश के उपरान्त परीक्षार्थी को जिन नियमों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा वे नियम परिशिष्ट–'ब' में दिये गये हैं।

1-11 izf'k{k.k ds lQy lekiu ds mijkUr efgyk LokLF; dk;ZdrkZ ds in ij fu;qfDr ,oa in dk osrueku %&

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करने में के फलस्वरूप इन्हें महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद रिक्त होने पर प्रदेश में कहीं भी नियुक्ति प्रदान की जावेगी। प्रशिक्षण से संबंधित शेष शर्तें यथावत रहेगी एवं ग्रामीण क्षेत्र में सेवा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा बॉण्ड राशि की वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

ifjf'k"V &v

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) के ज्ञाप क्रमांक एफ. 7–26/93/1/ आर. प्रा., दिनांक 8 मार्च 1994 के अनुसार परिशिष्ट – द (11) में खुली प्रतियोगिता के द्वारा प्रादेशिक आधार पर भरे जाने वाले पदो के लिये माडल रोस्टर के अनुसार उपलब्ध 700 सीटों का केन्द्रवार विवरण निम्नानुसार रहेगाः–

क्र.	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	कुल स्थान			अनारक्षित			अनु.जा.			अनु.ज.जा.			अन्य पिछड़ावर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर		
		100:	90:	10:	50:	90:	10:	16:	90:	10:	20:	90:	10:	14:	90:	10:
		कुल	खुली प्रति. यो.	आशा कार्यकर्ता	कुल	खुली प्रति.यो.	आशा कार्यकर्ता	कुल	खुली प्रति.यो.	आशा कार्य कर्ता	कुल	खुली प्रति. यो.	आशा कार्य कर्ता	कुल	खुली प्रति. यो.	आशा कार्यकर्ता
1	बैतूल	60	54	6	30	27	3	10	9	1	12	11	1	8	7	1
2	सीहोर	60	54	6	30	27	3	10	9	1	12	11	1	8	7	1
3	होशगाबाद	60	54	6	30	27	3	10	9	1	12	11	1	8	7	1
4	धार	60	54	6	30	27	3	10	9	1	12	11	1	8	7	1
5	बुराहानपुर	40	36	4	20	18	2	6	5	1	8	7	1	6	6	0
6	बडवानी	60	54	6	30	27	3	10	9	1	12	11	1	8	7	1
7	शिवपुरी	60	54	6	30	27	3	10	9	1	12	11	1	8	7	1
8	छिन्दवाडा	40	36	4	20	18	2	6	5	1	8	7	1	6	6	0
9	मण्डला	60	54	6	30	27	3	10	9	1	12	11	1	8	7	1
10	शहडोल	60	54	6	30	27	3	10	9	1	12	11	1	8	7	1
11	सागर	60	54	6	30	27	3	10	9	1	12	11	1	8	7	1
12	पन्ना	40	36	4	20	18	2	6	5	1	8	7	1	6	6	0
13	उज्जैन	40	36	4	20	18	2	6	5	1	8	7	1	6	6	0
	;kx	700	630	70	350	315	35	114	101	13	140	127	13	96	87	9

ifjf'k"V &c

efgyk LokLF; dk;ldrk i.f'k{k.k gr| fu;e ,o 'kr

1. महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण की अवधि दो वर्ष की होगी।
2. प्रशिक्षण अवधि में छात्रावास में निवास करना व छात्रावास के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
3. प्रशिक्षण अवधि में विवाह व गर्भधारण करना प्रशिक्षण हेतु अयोग्यता मानी जायेगी।
4. प्रत्येक वर्ष के पश्चात् केवल एक माह का ही अवकाश मिलेगा एवं प्रति वर्ष 10 दिवस का मेडिकल अवकाश मिलेगा।
5. प्रशिक्षणार्थी को ड्यूटी के समय गणवेश पहनना अनिवार्य होगा।
6. छात्राओं को कार्य (ड्यूटी समय) पर होते हुए रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
7. छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को मेस में भोजन करना अनिवार्य है।
8. छात्राओं को प्रशिक्षण अवधि में उनके माता–पिता अभिभावक द्वारा भर्ती के समय लिखित में अधिकृत किये गये व्यक्तियों से ही मिलने की अनुमति दी जावेगी।
9. प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर छात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी। प्रशिक्षणार्थी को दो वर्ष की अवधि की छात्रवृत्ति देय होगी।
10. प्रत्येक सप्ताह में एक दिन के लिये अभिभावक से मिल सकने की व्यवस्था और बड़े त्यौहारों पर अपने अभिभावक के पास जाने की अनुमति दी जा सकेगी। परन्तु यह व्यवस्था प्रभारी, प्रशिक्षण केन्द्र प्रशिक्षणार्थी की धार्मिक भावनाओं के परिप्रेक्ष्य में, क्लास एवं क्लीनिकल फील्ड अनुभव में बाधक न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए आंतरिक व्यवस्था की दृष्टि से करेंगे एवं प्रशिक्षणार्थियों को इसका पालन करना होगा।
11. छात्राओं को आवंटित पास के दिन बाहर जाने पर पुनः संध्याकालीन रोल के समय छात्रावास में रहना अनिवार्य होगा।
12. छात्राओं को बाहर आने–जाने पर अपना नाम एवं पता अपने जाने का समय रजिस्टर में अंकित करना तथा हस्ताक्षर कराना अनिवार्य है।
13. प्रशिक्षण के दौरान एक प्रशिक्षण केन्द्र से दूसरे प्रशिक्षण केन्द्र में स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है।
14. उपरोक्त निर्देशों/शर्तों का कड़ाई से पालन ना करने पर एवं प्राचार्य की शिकायत के आधार पर छात्रा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए प्रशिक्षण से निष्कासित किया जावेगा।
15. उपरोक्त नियमों के अलावा प्रभारी प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रशासकीय दृष्टि से बनाये गये नियमों का पालन करना भी छात्राओं के लिये अनिवार्य होगा।
16. प्रशिक्षण उपरान्त उम्मीदवारों को मध्यप्रदेश शासन के अधीन 3 वर्ष तक शासकीय सेवा करना अनिवार्य होगा। इस हेतु छात्राओं को 10,000/– (दस हजार रूपये) का बॉण्ड भरना अनिवार्य है।
17. प्रशिक्षणार्थियों को चयन उपरान्त तीन माह पश्चात् पी.टी.एस. परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
18. प्रशिक्षण केन्द्र का आवंटन होने पर निर्धारित दिनांक तक उपस्थिति देना अनिवार्य होगा।
19. आवंटन के पश्चात् प्रशिक्षण में उपस्थिति होने के उपरांत अवकाश पर जाने के पूर्व चिकित्सा प्रमाण पत्र या अवकाश आवेदन स्वीकृत कराना होगा।
20. 10 दिवस की अनाधिकृत अनुपस्थिति को अनुशासहीनता माना जावेगा। 10 दिन से अधिक की अनाधिकृत अनुपस्थिति की स्थिति में प्रशिक्षण से निष्कासित किया जावेगा।

lpkyd ifjokj dY;k.k
e/; izns'k

अध्याय – 2

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल के परीक्षा संचालन एवं निर्देश

[k.M&v

2-1 (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

(ii) विभागीय नियमावली एवं अभ्यर्थी द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जावेगी।

(iii) ink@lhV l dh l[;k e: vko';drkulkj deh ;k of) dh tk ldrh gA

2-2 (i) <u>आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अनिवार्य रूप से होने चाहीये</u> ।

(ii) आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के लिये विचार क्षेत्र में होने की पात्रता नहीं होगी।

(iii) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा ।

(iv) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा।

(v) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी ।

2-3 ijh{kk gky e: y: tku gr vko';d lkexh %&

(i) मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश–पत्र।

(ii) काला बॉलप्वाइंट पेन।

(ii) फोटोयुक्त पहचान पत्र – मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, अंकसूची मय फोटोग्राफ, बैंक पासबुक मय फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य।

(iv) यदि आवेदक द्वारा उपरोक्त के अलावा अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र का चयन किया जाता है तो वह कौन सा दस्तावेज है इसकी जानकारी अतिरिक्त सह–आई.डी. के रूप में प्रदान करनी होगी। अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।

2-4 परीक्षा में किसी भी प्रकार के ब्सबनसंजवत उपयोग की मनाही है अर्थात Scientific Calculator, Mobile Phone, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales and whitener आदि पूर्णतः वर्जित है।

2-5 fyf[kr ijh{kk e: fu%'kDrtu vH;fFk;k: d: fy, miyC/k lfo/kk,¡ %&

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ–8–2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09. 2011 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधाऍं प्रदान की जायेगी :–

(i) ;g lfo/kk fuEufyf[kr vH;fFk;k: dk: inku dh tkoxh %&

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।

2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।

3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण–पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।

4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण–पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।

5. निशक्तजन अभ्यर्थियों की बैठक व्यवस्था परीक्षा केन्द्र में भूतल पर ही अनिवार्य रूप से की जायेगी। इसके साथ ही रैम्प का निर्माण भी यथासम्भव किया जायेगा।

(ii) ys[ku fyfid dh lqfo/kk %&

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को लेखन लिपिक की सुविधा प्रदान की जावेगी। यदि अभ्यर्थी लेखन लिपिक की सुविधा प्राप्त नहीं करता है, तो उसे निम्नानुसार अतिरिक्त समय की पात्रता होगी :–

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
1½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

(iii) ys[ku fyfid dh fu;qfDr gsrq 'krsZ %&

1. लेखन लिपिक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा से एक निचली कक्षा का होना चाहिए।

2. लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी शपथ–पत्र सहित संबंधित परीक्षा केन्द्र के केन्द्र अधीक्षक को अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाकर परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित अनुमति प्रदान किया जाना अनिवार्य होगी।

(iv) blds vfrfjDr ijh{kkfFkZ;ksa dks nh tkus okyh lqfo/kk,sa %&

1. परीक्षार्थी को लेखन लिपिक की सेवाएँ मुफ्त प्रदान की जावेगी, जिसके लिए मण्डल द्वारा कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जावेगा।

2. ऐसे परीक्षार्थी, जिन्हें लेखन सहायक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, उन्हें एक अलग कक्ष यथासंभव भूतल पर उपयुक्त व्यवस्था की जावेगी।

2-6 izos'k&i= izkIr djus dh izfØ;k %&

ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश–पत्र मण्डल की वेबसाईट **www.vyapam.nic.in** से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

ukV& प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ऑनलाईन आवेदन–पत्र को रद्द/निरस्त/परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2-7 ijh{kk izos'k&i= (Test Admit Card) :-

(i) नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन–पत्रों के प्रवेश–पत्र (Test Admit Card-TAC) मण्डल की वेबसाईट **www.vyapam.nic.in** पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे।

(ii) मण्डल की वेबसाईट पर जारी किया गया टेस्ट एडमिट कार्ड दो–भागों में जारी किया जायेगा जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।

(iii) अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।

(iv) आवेदक यदि आवेदन पत्र में उल्लेखित अनुसार फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ उपस्थित नहीं होता है तो उसे मण्डल के टेस्ट एडमिट कार्ड के द्वितीय भाग में पूर्व में प्रेषित ऑनलाईन आवेदन पत्र वाला फोटो लगाकर उसे राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर लाना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने के पात्रता नही होगी तथा इस प्रकार के अभ्यर्थियों को 'रासा'' में अनुपस्थित अंकित किया जायेगा।

(v) परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, बाये हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तलिपि अंकित करना होगी। प्रवेश–पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

2-8 eY;kadu i)fr %&

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero)अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

2-9 =qfVi.kZ iz'u mlds fujLrhdj.k ,oa cnys esa fn;k x;k vad %&

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा विषय विशषज्ञों से प्रश्नपत्र के प्रत्येक प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते है :–

(i) प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।

(ii) प्रश्न की संरचना गलत हो।

(iii) उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।

(iv) कोई भी विकल्प सही न हो।

(v) यदि प्रश्न–पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न–भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।

(vi) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।

(vii) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ द्वारा उचित समझा जाये।

(ix) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न–पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

<u>mnkgj.k 01</u> :– यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{90 \times 100}{(100 - 2)} = 91.83 \quad \text{rounded off to } 92.00$$

<u>mnkgj.k 02</u> :– यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{140 \times 150}{(150 - 2)} = 141.89 \quad \text{rounded off to } 142.00$$

<u>mnkgj.k 03</u> :– यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार

होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{190 \times 200}{(200 - 2)} = 191.91 \quad \text{rounded off to } 1\,92.00$$

ukV %& सभी गणना को दो दशमलव तक राउंडऑफ किया जायेगा।

2-10 i'uifLrdk d i'uk d lc/k e vH;konu %&

(i) प्रश्न–पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रारूप में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा आयोजन की तिथि के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है ।

(ii) बिन्दु क्रमांक 2.9 अनुसार मण्डल द्वारा प्रश्न–पुस्तिका में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ–साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम ''की'' (आदर्श उत्तर) तैयार की जायेगी ।

(iii) आदर्श उत्तरों के संबंध में मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

2-11 vufpr lk/ku ¼Unfair means, UFM½ %&

निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) के अंतर्गत माना जावेगा :–

(i) परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।

(ii) अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।

(iii) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।

(iv) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।

(v) अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।

(vi) अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका की अदला–बदली करना।

(vii) प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना।

(viii) नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।

(ix) सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।

(x) सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।

(xi) परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुॅचाना।

(xii) उपरोक्त अनुचित साधनों तथा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा।

(xiii) इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यर्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौपा जायेगा और उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

(xiv) यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एंव उसके स्थान पर परीक्षा में बैठनें वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा ।

(xv) विभाग द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मंडल को अवगत कराया जायेगा, ताकि मंडल स्तर से संबंधित अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सके।

(xvi) परीक्षार्थियों द्वारा ओ0एम0आर0 उत्तरशीट्स में व्हाईटनर का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। मण्डल कार्यालय को व्हाईटनर लगी ओ0एम0आर0 उत्तरशीट्स प्राप्त हाने से इन्हे स्केनर द्वारा स्वीकार नही किया जाता है जिससे तकनीकी रूप से स्केनरर्स में परेशानी होती है तथा इस प्रकार की कार्यवाही परीक्षा नियमों के भी विपरीत है। अतः व्हाईटनर के प्रयोग वाली ओ0एम0आर0 उत्तर शीटो के ऐसे प्रकरणों को यू0एफ0एम0 समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर परीक्षण उपरांत यू0एफ0एम0 मान्य करते हुए ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता मण्डल स्तर से समाप्त की जावेगी।

(xvii) परीक्षार्थियों के विरूद्व परीक्षा के पूर्व/दौरान/पश्चात परीक्षा संबंधी आपराधिक प्रकरण दर्ज किये जानें अथवा परीक्षा संबंधी आपराधिक प्रकरण में संलिप्ता पाये जाने पर परीक्षण उपरांत यू0एफ0एम0 मान्य करते हुए संबंधित परीक्षार्थियों की अभ्यर्थिता मण्डल स्तर से समाप्त की जावेगी।

(xviii) आवेदक द्वारा ओ.एम.आर. उत्तर शीट में पेसिंल से उत्तर अंकित किये जाने पर यू.एफ.एम. प्रकरण मान्य करते हुये संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता मण्डल स्तर से समाप्त की जावेगी ।

(xviiii) उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य ऐसा कोई कार्य, प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो ।

2-12 ijh{kk ifj.kke dk izdk'ku %&

(i) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व मण्डल की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ–साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।

(ii) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।

(iii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध कराया जावेगा ।

2-13 ijh{kk ifj.kke %&

(i) परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड किया जायेगा।

(ii) तद्नुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणामका प्रेषण नहीं किया जायेगा।

2-13 e-iz- O;kolkf;d ijh{kk eMy dk dk;Z iq:o'k@Hkrh@ik=rk ijh{kkvks dk lapkyu ,oa mldk ifj.kke ?kksf"kr djuk ek= gksxk %&

(i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा।

(ii) मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।

(iii) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से छः माह पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख नष्ट कर दिए जायेंगे।

2-14 U;kf;d {k=kf/kdkj %& परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction)मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

[k.M&c

2.15 vkuykbu vkonu&i= d lkFk lyXu fd; tku oky nLrkotk dk fooj.k %&

(i) ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा।

(ii) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी को प्रपत्र प्रारूप–12 अनुसार स्केन कराकर संलग्न करना होगा ।

(iii) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवी, दसवी अथवा बारहवी की अंकसूची को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

(iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछ़डा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

(v) अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये इसकी अनिवार्यता नही होगी तथा अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यह विकल्प आवेदन पत्र में प्रदर्शित नही किया जायेगा।

2-16 vkuykbu vkonu i= d lkFk QkVk ,o gLrk{kj lyXu dju lc/kh funk'k%&

(i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी को प्रपत्र प्रारूप–12 अनुसार स्केन कराकर संलग्न करना होगा ।

(ii) जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होगें। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।

(iii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा ।

(iv) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।

(v) उपरोक्त मांपदड के फोटोग्राफ संलग्न नही किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(vi) फोटोग्राफ <u>vkonu Hkju dh frfFk</u> से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा <u>QkVkxkQ ij f[kpoku dh fnukd o vkond d uke dk Li"V mYy[k gkuk pkfg;A</u>

(vii) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।

(viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियॉ सुरक्षित रखा जाना होगा।

(ix) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।

(x) ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होगें।

2-17 ,e-ih- vkuykbu fd;kLd d ek/;e l vkonu Qke Hkju dh fof/k %&

(i) एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा।

(ii) कियोस्कधारक द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन–पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप भलीभांति भरकर देना होगा, जिसके आधार कियोस्कधारक ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जावेगा।

(iii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्केन कर ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।

(iv) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही–सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।

(v) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन–पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

2-18 vkuykbu vkonu Hkjus ds lac/k esa funs'k %

(i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते है। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण मीनू के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।

(ii) igpku i= ds euhw esa ernkrk igpku i=] isudkMZ] vk/kkj dkMZ] Mªk;fox yk;lsal] vdlph e; QksVksxzkQ] cSad iklcqd e; QksVksxzkQ rFkk iklikWVZ dk ikso/kku j[kk x;k gSA

(iii) यदि आवेदक द्वारा अन्य पहचान पत्र का चयन किया जाता है rks og nLrkost dku lk gS blds tkudkjh vfrfjDr lg&vkbZMh ds :i esa inku djuh gksxhA

(iv) vkosnd dks vkosnu i= esa 'kjhj ds LFkk;h fpUg rFkk ijh{kk ds le; iLrqr fd;s tkus okys QksVks igpku i= dk fooj.k rFkk Øekad vfuok;Z :i ls vafdr fd;k tkuk gksxkA buds vHkko esa vkosnu i= Lohdkj ugh gksxkA

(v) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(vi) आवेदक द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णाक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।

(vii) आनलाईन आवेदन पत्र में आवेदक का आधार कार्ड क्रमांक पृथक से भी अंकित किये जाने का प्रावधान रखा जावेगा ।

2-19 vkuykbu vkosnu&i= Hkjus dh O;oLFkk %&

(i) ऑनलाईन आवेदन–पत्र एम.पी.आनलाईन की osclkbV www.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है।

(ii) इसके अतिरिक्ति स्वंय के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित बेवसाईट्स से डेविट (कोई भीवीजा/मास्टर/मास्टरो काई)/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है।

(iii) सीधी भर्ती–बैकलॉग के रिक्त पदों हेतु अभ्यर्थियो द्वारा कोई परीक्षा शुल्क देय नही होगा।

(iv) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन–पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन–पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाईट के माध्यम से प्रवेश–पत्र प्राप्त किया जा सके।

2-20 vkuykbu vkosnu&i= Hkjus gsrq nks fodYi gS %&

¼v½ bVjusV dSQs }kjk ¼D;ksLd½ ¼c½ Lo;a ds dEI;wVj }kjk

(i) आवेदक वेबसाईट www.mponline.gov.in के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत
Application क्लिक कर
Vyapam लिंक में
परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी fun!'k@**Instructions** तथा परीक्षा fu;e@**Examination Rules** उपलब्ध होंगे।

(ii) निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें ।

(iii) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही–सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन–पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा।

(iv) ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईने, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्केन कर jpg फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे Browse बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।

(v) ऑनलाईन आवेदन–पत्र को Submit करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन–पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही Submit बटन का उपयोग कर आवेदन–पत्र को जमा करें।

(vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन–पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु proceed to payment बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :–
¼v½ ØfMV@MfcV dkMZ ¼c½ bVjusV cSfdax

2-21 ØfMV@MfcV dkMZ ds ek/;e ls ijh{kk 'kqYd dk Hkqxrku%&

(i) आवेदन–पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।

(ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।

(iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

1-22 bVjusV cSfdax ds ek/;e ls ijh{kk 'kqYd dk Hkqxrku %&

(i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।

(ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2-23 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर Unpaid Application लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन–पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन–पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

2.24 fu/kkfjr frfFk e: tek fd, x, vkuykbu vkonu i= e: l:'kk/ku dh 0;oLFkk

(i) ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओ के आधार पर होगीः–

(ii) ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।

(iii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन–पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।

(iv) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन–पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।

(v) उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी।

(vi) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।

(vii) संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पति के नाम में किसी भी प्रकार का संशोधन नही किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी।

(viii) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

(ix) ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, व्यापम आवेदन–पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई–मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

(x) संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा व किसी भी आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नही किया जायेगा। इस संबंध में मण्डल द्वारा कोई भी पत्राचार नही किया जायेगा।

2.25 ,d l: vf/kd vkuykbu vkonu&i= Hkjus lac/kh funs'k %&

(i) ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन–पत्र की जानकारी यथा नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते है ? यदि आवेदक द्वारा ''हॉ'' विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन–पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन–पत्र ही मान्य होगा।

(ii) अभ्यर्थी द्वारा विकल्प ''हॉ'' का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई–मेल आईडी पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन–पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी।

(iii) ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन–पत्र के लिए पुनः शुल्क का भुगतान करना होगा।

2-26 vkuykbu vkosnu&i= dk fujLrhdj.k %&

(i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण मण्डल स्तर पर सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(iii) इस संबंध में मण्डल द्वारा कोई भी पत्राचार नही किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

2-27 ऑनलाईन आवेदन–पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755 - 4019400 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

2-28 अभ्यर्थी की आयु सीमा की गणना प्रवेश के चालू वर्ष की 01 जुलाई की स्थिति में की जावेगी। इसके अतिरिक्त विभागीय नियमों में यदि कोई विशिष्ट प्रावधान रखे गये है तो वे मान्य होगें।

2-29 परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियमपुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।

2.30 अभ्यर्थी द्वारा जानकारी/समस्या के लिए टोल फ्री नम्बर 18002337899 पर सम्पर्क किया जा सकता है ।

[k.M&l

2-31 vkonu i= Hkjus dh le;kof/k

ऑनलाईन आवेदन पत्र			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की अंतिम तिथि	भरने के कुल दिवस	करने की प्रारंभिक तिथि	करने की अंतिम तिथि	करने के कुल दिवस
		30			05

2-32 fyf[kr ijh{kk dk fooj.k

स.क्रं.	परीक्षा	दिनांक	दिन	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	आफलाईन पद्धति का प्रश्न पत्र	10.01.2016	रविवार	03 घंटे	प्रातः 09:00 बजे से 12:15 बजे तक	150
2.	आनलाईन पद्धति का प्रश्न पत्र	10.01.2016	रविवार	02 घंटे	प्रातः 09:00 से 11:00 तक प्रातः 12:00 से 02:00 तक सांय 03:00 से 05:00 तक	150

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर काले बॉल प्वाइंट पेन से काला करना होगा।

2-33 (i) ijh{kk 'kqYd %&

स.क.	प्रश्नपत्रों की संख्या	अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये	(म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)		सीधी भर्ती बैकलॉग के अभ्यर्थियों के लिये	आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑन लाईन का पोर्टल शुल्क
			अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये	निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिये		
01-	,d	400/-	200/-	200/-	fujad	70@&

(ii) la'kks/ku fd;s tkus ij nz; 'kqYd

स.क.	प्रश्नपत्रों की संख्या	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर	
		शुल्क	पोर्टल शुल्क
01-	,d	100/-	50/-

2-34 ijh{kk 'kgj %&

लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी। अभ्यर्थियों की शहरवार संख्या के आधार पर एवं मण्डल अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरो में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है।

fyf[kr ijh{kk dsUnz			
जबलपुर	ग्वालियर	उज्जैन	सागर
भोपाल	इन्दौर	रीवा	सतना

2-35 ikB;Øe dk Lrj %&

10+2 पद्वति की 12 वी कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की हो (नियम पुस्तिका के पृष्ठ क्र. 06 की कंडिका 1.3.2 अनुसार)

[k.M&n

vkuykbu ijh{kk i.kkyh d: lc/k e: funs'k

2-40 (i) परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 1:30 घण्टे पूर्व अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है।

(ii) परीक्षा तिथि पर परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक प्रणाली से अंगूठे का निशान प्राप्त किया जाएगा।

(iii) बायोमेट्रिक के अतिरिक्त अभ्यर्थी को टी.ए.सी. के द्वितीय भाग की प्रविष्टियों को भरकर लाना अनिवार्य है।

(iv) व्यापम की वेबसाईट पर अभ्यर्थियों के लिये ऑनलाईन परीक्षा के मॉक टेस्ट की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी, जिसका उपयोग कर आवेदक परीक्षा पूर्व, परीक्षा प्रक्रिया का अभ्यास कर सकता है।

(v) व्यापम कार्यालय में भी आवेदक के लिये ऑनलाईन परीक्षा प्रक्रिया के अभ्यास की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

(vi) अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान प्रत्येक प्रश्न के लिये उपलब्ध चार विकल्प में से एक विकल्प का चयन उत्तर अंकित करने के लिये अनिवार्य होगा।

(vii) व्यापम की वेबसाईट पर परीक्षा समाप्त होने के अगले दिवस प्रश्न पत्र एवं मॉडल उत्तर प्रदर्शित किये जायेगे जिसके आधार पर आवेदक प्रश्न एवं उनके उत्तर विकल्पों के संबंध में अपना अभ्यावेदन नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकेगा।

(viii) अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम उत्तर कुंजी (आदर्श उत्तर) तैयार किये जायेगे। जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर घोषित किया जाएगा।

(ix) ऑनलाईन आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षाा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।

(x) परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्ट में किये जाने की स्थिति में प्रश्न पत्रों के स्तर का Normalisation करने का प्रावधान मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा ।

(xi) नियम पुस्तिका में परीक्षा आयोजन का समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित/संशोधित किया जा सकता है ।

(xii) परीक्षा आयोजन की निर्धारित तिथि में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है तथा परीक्षा का आयोजन निर्धारित तिथि के पूर्व या पश्चात भी किया जा सकेगा ।

(xiii) कंडिका 2.5 की सुविधा प्राप्त करने के लिये आवेदक को मण्डल में परीक्षा तिथि के एक सप्ताह पूर्व लिखित में दस्तावेजो सहित आवेदन करना आवश्यक होगा ।

ikB~;dze

v- lkekU; Kku& 12oha ijh{kk

1. मध्यप्रदेश की सामान्य प्रमुख जानकारियॉ
2. प्रमुख अभ्यारण एवं राष्ट्रीय उद्यान
3. प्रमुख नदियॉ
4. प्रमुख सिंचाई योजनायें
5. पर्यटन (दुर्ग व किले, प्रमुख महल, पौराणिक दर्शनीय एवं प्राकृतिक स्थल, गुफायें समाधि व मकबरे (इत्यादि)
6. मध्यप्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व (राजनीतिक, खिलाड़ी, कलाकार, प्रशासन, लेखक, साहित्यकाल, समाजसेवी (इत्यादि)।

c- foKku & 12oha ijh{kk

1. ब्रहाण्ड।
2. मापन – समय, ताप, लम्बाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान का मापन।
3. पदार्थ – पदार्थ की अवस्थाऍ, पदार्थ के गुण, पदार्थो की पृथक्करण की विधियॉ, धातु–अधातु, अणु–परमाणु, तत्व यौगिक एवं मिश्रण, रासायनिक संकेत, सूत्र एवं समीकरण, अम्ल, क्षार, लवण एवं उनके गुण।
4. भोजन एवं स्वास्थ्य – भोजन के स्त्रोत, भोजन के घटक, भोज्य पदार्थो का संरक्षण, भोजन एवं स्वास्थ्य।
5. सजीव जगत – वर्गीकरण, संरचना, जैविक प्रकियाऍ, अनुकूलन जैव उत्पत्ति।
6. बल, गति एवं दाब।
7. कार्य उर्जा एवं मशीन।
8. ताप एवं उष्मा।
9. हमारे आस–पास का वातावरण – भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, कार्बन –अपररूप, हाईड्रोकार्बन।
10. प्राकृतिक घटनाऐं – प्रकाश, ध्वनि।
11. वस्तुऐं कैसे काम करती है – चुम्बक, विधुत एवं विधुत धारा।
12. प्राकृतिक संसाधन।
13. खाध उत्पादन एवं प्रबंधन।
14. पर्यावरण।
15. विज्ञान के उद्वद्देश्य।
16. वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना।
17. महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्यों कोर सिद्वान्तों से अवगत कराना।

ikB;Øe

ç’u i= dk Lrj % 10$2 i}fr l: 12oh d{kk

स. क्र.	विषय	कुल प्रश्न	कुल अंक
1.	भौतिकी	30	30
2.	रसायन शास्त्र	30	30
3.	वनस्पति शास्त्र	30	30
4.	प्राणी शास्त्र	30	30
5.	सामान्य अग्रेजी	30	30
d|y		150	150

v/;k;&4

iek.k&i=k d ik:i

ii= & 1 ½

mEehnokj d firk @ ekrk@oa/k vfHkHkkod dk 'kiFk&i=

(केवल अनुसूचित जाति, जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए)

नाम : ....

पिता का नाम : ....

जाति/जनजाति (अनुसूची का क्रमांक) नाम : ....

धर्म : ....

व्यवसाय : ....

पता : ....

....

मैं शपथपूर्वक कथन करती हूँ कि :–

1. मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 341/342 के अन्तर्गत जिला ....के लिए घोषित .... अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सदस्य हूँ।

vFkok

2. मेरे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी .... जिला .... के समक्ष जाति प्रमाण–पत्र करने हेतु जो आवेदन पत्र दिनांक .... को प्रस्तुत किया गया है। उसमें वर्णित जानकारी मेरे ज्ञान/विश्वास के अनुसार सत्य है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

....

fVIi.kh ½& tk vui;Dr fodYi gk mlI dkV nao ,o iek.k&i= iLrr djA

i;i= & 2 ½

mEehnokj dk firk @ ekrk@oS/k vfHkHkkod dk 'kiFk&i=

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग ....जिला.. मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक ....
प्रमाण–पत्र क्रमांक......................... प्रकरण क्रमाक......................

tkfr izek.k i=

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....पिता/पति का नाम.................................... निवासी ग्राम/नगर ....वि. खं...............................तहसील.... ....जिला...संभाग...जाति /जनजाति..का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचिज जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह ....जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक ....पर अंकित है. अतः श्री/श्रीमती/कुमारी ....पिता/पति का नाम... ....अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।.

2. प्रमाणित किया जात है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी...के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये ....हैं.

gLrk{kj
izekf.kdj.k vf/kdkjh dk uke
inuke

दिनांक ....

¼lhy½

fVIi.kh (1) अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 केअंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अथ है संविधान के अनुच्छेद 342 केअंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जनजाति.

(2) केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किये गए प्रमाण–पत्र मान्य होंगे. (अ) कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ. (अनुविभागीय अधिकारी) उपसंभागीय मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट, (ब) तहसीलदार, (स) नायब तहसीलदार, (द) परियोजना प्रशासक /अधिकारी, वृहत/मध्यम/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना,

यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात् ही जारी किया जावे, न कि उम्मीद्वार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ–पत्र केआधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण–पत्र के आधार पर।

izi= & 3 %

e/;izns'k dh vU; fiNMh tkfr ¼Øehys;j dks NksM+dj½ Js.kh ds vkjf{kr LFkkuksa ij izos'k ds fy;s izLrqr fd;s tkus okys izek.k&i= dk izk:i % fu;e 1-2-2 ns[ksa

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री (परीक्षार्थी का नाम) .... आत्मज श्री .... निवासी ग्राम ....जिला/संभाग ....मध्यप्रदेश के निवासी है जो ....जाति ....के है, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–8–5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है.

श्री... (पिता का नाम) और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश के जिला .... संभाग में निवास करता है.

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री ....(पिता का नाम) क्रीमीलेयर (संपन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गो की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र कमांक 360/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी) दिनांक 8–9–93 द्वारा जारी सूची के कालम–3 में तथा म. प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक एफ–7–16/2000/1 आ. प्र. दिनांक 6 जुलाई 2000 की अनुसूची अनुकमाक 6 आय/संपत्ती आंकलन भाग (क) संशोधित कालम (3) में किया गया है.

दिनांक...

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

¼lhy½

i:i= & 4 %

Hkkrio! lSfud }kjk LFkkbZ :i ls e/;izns'k esa
O;oLFkkfir gksus lac/kh izek.k i=

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती/कुमारी (उम्मीदवार का नाम) .... श्री/कुमारी ....के पिता/माता सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक हैं और स्थायी रूप से .... (स्थान) तहसील जिला .... में स्थायी रूप से व्यवस्थापित हो गये हैं।

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान :–

दिनांक .... (कार्यालय सील)

izi= & 5 %

vf/kokl h lac a/kh vko';drk gsrq izek.k&i=

संदर्भ क्रमांक ....   दिनांक ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती/कुमारी .... आत्मजा पत्नी श्री ....ने नियमित छात्रा के रूप में इस संख्या ....(संस्था का नाम) में सत्र .... से सत्र तक .... अध्ययन किया है।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर ....

नाम एवं पद ....

(कार्यालय सील)

स्थान ....

दिनांक ....

i|i= & 6 %

okLrfod fuokl h iek.k&i=

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति/कुमारी .... आत्मजा/पत्नी/श्री/श्रीमती .... जो तहसील ....जिला................................ मध्यप्रदेश का निवासी है, क्योंकि वह

(1) मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है/ हुई है।

अथवा

(2) वह /उसका पालक/ वैध अभिभावक मध्यप्रदेश में निरन्तर कम से कम 15 वर्षों से रह रहा/रही है।

अथवा

(3) उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है जो मध्यप्रदेश में सेवारत है।

(4) वह स्वयं अथवा उसके पालक, राज्य में पिछले पाँच वर्षों से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं। इसके अतिरिक्त –

(1) उसने अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है जिसमें कक्षा एक के पूर्व की शिक्षा सम्मिलित नहीं होगी।

अथवा

(2) उसने मध्यप्रदेश स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से निम्नलिखित में से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण की है।

(क) 10+2 प्रणाली की दसवीं/बारहवीं कक्षा की परीक्षा

(ख) आठवीं कक्षा की परीक्षा

स्थान ....

....

दिनांक ....

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम एवं सील

fVIi.kh %& tks vi'k vko';d u gks mUgs dkV fn;k tkoA

ii= & 7 %

okLrfod fuoklh lac/kh vko';drk gsrq iek.k&i=

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति/कुमारी .... श्री/श्रीमती...का /की/पुत्री है।

(क) जो .... विभाग में ....पर ... . (तिथि) से पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी है।

vFkok

(ख) जो .... विभाग में ....पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे और जो .... (तिथि) को इस विभाग से सेवानिवृत्त हुए।

vFkok

(ग) जो .... विभाग में ....पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे जिनकी मृत्यु सेवा के रहते हुए .... (तिथि) को हो गई थी।

vFkok

(घ) जो .... विभाग में ....पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं।

....

कार्यालय प्रमुख /सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

(कार्यालयीन सील)

दिनांक ....

ii= & 8 %

okLrfod fuoklh lc/kh vko';drk grq iek.k&i=

संदर्भ क्रमांक ....   दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति／कुमारी ....
श्री／श्रीमती..का ／की／पुत्री है, जो दिनांक 1 जनवरी 2010 को अथवा उसके पूर्व कि तिथि .... में मध्यप्रदेश में स्थित .... विभाग में .... पद पर पदस्थ केन्द्रीय शासन／सार्वजनिक उपक्रम का／की कर्मचारी हैं।

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर...................................

नाम एवं पद ....

(कार्यालयीन सील)

स्थान ....

दिनांक ....

i i= & 9 %

e/; in'k e i u0;oLFkkiu lc/kh iek.k&i=

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति/कुमारी ....
श्री/श्रीमती..का/की/पुत्री है, जो .... योजना के तहत मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित है। यह योजना भारत शासन /मध्यप्रदेश शासन द्वारा पुनर्व्यवस्थापन योजना (Resettlement Scheme) है।

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर....................................

नाम एवं पद ....

स्थान ....

(कार्यालयीन सील)

दिनांक ....

प्रारूप–10
(देखें नियम 2.18 एवं 2.19)

प्रश्न–पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन
(नोट– यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
अभ्यार्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यार्थी का नाम	
अभ्यार्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यार्थी का सेट क्रमांक	

उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न–पत्र में निम्नलिखित प्रश्न/उत्तर उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :–

स0क्र0	प्रश्न क्रमांक/ उत्तर क्रमांक	त्रुटि का विवरण	साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है । कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें ।

आवेदक के हस्ताक्षर...............................
आवेदक का नाम..................................

स्थान ....
दिनांक ....

प्रारूप–11
(देखें नियम 2.18 एवं 2.19)

आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन
(नोट– यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
परीक्षा का दिनांक	
अभ्यार्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यार्थी का नाम	
अभ्यार्थी का सेट क्रमांक	
प्रश्न पत्र का कोड	
परीक्षा शिफ्ट	
परीक्षा का समय	
परीक्षा शहर का नाम	
अभ्यार्थी का परीक्षा केन्द्र	

मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित सेट क्रमांक .... के आदर्श उत्तर में निम्नलिखित उत्तर त्रुटिपूर्ण है :–

स.क्र.	विषय	प्रश्न क्रमांक	आदर्श कुंजी में प्रदर्शित उत्तर	अभ्यार्थी के अनुसार उत्तर	उत्तर के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है।

आवेदक के हस्ताक्षर..

आवेदक का नाम एवं पता..............................

....

....

दूरभाष क्रमांक...

दिनांक ....

Professional Examination Board
प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड

Predefined Template

फोटो / Photo

4" x 5" सेमी फोटो
यहाँ चिपकाये
4" x 5" cm photo paste here

Box-1

हस्ताक्षर / Signature

Box-2

निर्देश / Instruction(हस्ताक्षर / Signature)

- अपना पूरा हस्ताक्षर बॉक्स-2 के अंदर करें, अँग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे
- Do your full signature within box-2, signature in capital letter or more than 1 should be invalid

निर्देश / Instruction(फोटो / Photo)

- फोटोग्राफके निचले हिस्से पर फोटो खिचवाने की दिनांक व आवेदक का नाम स्पष्ट होना चाहिएतथा यह आवेदन करने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए
- Photograph of the candidate should bear his/ her name and the date on the front of the lower part of photographandit should not old more than 3 months from application date

स्व-घोषणा / Self-declaration:

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वाराआवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है।यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर परझूठीया पात्रता मापदंडकी आवश्यकताओं अनुसारसंतोषजनकनहींपाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारीरद्दकी जा सकती हैं।

अथवा / Or

I hereby declare that all statements made in this application are true to the best of my knowledge and belief. If any information being found false at any stage or not satisfying the eligibility criteria according to the requirements, my candidature is liable to be cancelled.

स्व-घोषणा / Self-declaration

(ऊपर दिए गए घोषणा कोबॉक्स-3 के अंदरअपने लेखन में कॉपी करें/ Copy in your running hand writingin box-3, the declaration given above)

Box-3